

**ग्राम पंचायत झुम्ब खास, विकास खंड फतेहपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवम उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत झुम्ब खास विकास खंड फतेहपुर जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि 04/2015 से 03/2018 तक के दौरान ग्राम पंचायत झुम्ब खास में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे ।

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति उर्मिला देवी	01/04/2015 से 22/01/16
2.	श्री करतार सिंह	23/01/16 से 31/03/2018

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति रीना	01/04/2015 से 31/03/2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत झुम्ब खास जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों में भारी अन्तर	2.11

2	7	पंचायत राजस्व की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	0.04
3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	5.00
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	2.81

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत झुम्ब खास विकास खंड फतेहपुर जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 26.04.18 से 01.05.18 तक ग्राम पंचायत झुम्ब खास के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिये क्रमशः 4/2015, 02/2017, 04/2017 व 7/2015, 12/2016, 02/2018 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत झुम्ब खास विकास खण्ड फतेहपुर जिला काँगड़ा के अवधि 04/15 से 03/18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि० प्र० शिमला-09 को शीघ्रअतिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या-114 दिनांक-01-05-18 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत झुम्ब खास से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत झुम्ब खास द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/15 से 03/18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विवरण परिशिष्ट 1 व 2 में दिया गया है:-

1 स्व-स्त्रोत

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	161360	219172	380532	285836	94696
2016-17	94696	509847	604543	230227	374316
2017-18	374316	367443	741759	620780	120979

2 अनुदान

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2015-16	283350	2886642	3169992	2517367	652625
2016-17	652625	2814115	3466740	2721001	745739
2017-18	745739	2442330	3188069	2692382	495687

कुल योग (1 + 2) = 616666

दिनांक 31.03.2018 को ग्राम पंचायत झुम्ब खास द्वारा बैंक में जमा राशि का विवरण

क्रम संख्या	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	Sabha Nidhi	20051005919	के.सी.सी.रेहन	106299
2	Water shed	0843000102181545	पी.एन.बी. रेहन	71184
3	PublicShare (w.s.)	50056929263	के.सी.सी.रेहन	46461
4	T.S.C./SBM	50059840665	के.सी.सी.रेहन	72655
5	MPLAD	50051944855	के.सी.सी.रेहन	14536
6	13& 14 F/C	50051944924	के.सी.सी.रेहन	483072
7	Zila Parishad	50051944877	के.सी.सी.रेहन	7103
8	Panchayat samiti	50051944902	के.सी.सी.रेहन	24895
9.	S.D.P.	50056929241	के.सी.सी.रेहन	636
			हस्तगत राशि	865
			कुल योग	827706

वित्तीय स्थिति व बैंक खातों में अन्तर:- 616666-827706=211040

- 5 **बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹2.11 लाख का भारी अन्तर:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत झुम्ब खास द्वारा हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार

नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-18 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹211040 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

अतः इस अनियमितता बारे उचितस्पष्टीकरण प्रस्तुत करे तथा इस अन्तर का अति शीघ्र मिलान किया जाये व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तशेष का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करना:—

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त अन्त शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षांत में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत झुम्ब खास में रोकड़ बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹0.04 लाख की वसूली शेष:—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत झुम्ब खास की गृहकर से सम्बंधित ₹3945 की राशि दिनांक 31-03-18 तक शेष थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र० स०	वर्ष	अथशेष	परिवारों की संख्या	दर प्रति परिवार	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1.	2015-16	46075	400	25/-	10000	56075	53950	2125
2.	2016-17	2125	410	35/-	14350	16475	10080	6395
3.	2017-18	6395	422	35/-	14770	21165	17220	3945

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाये।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप-11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान राशि ₹5.00 लाख का अवरोधन

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-18 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹495687 उपयोग हेतु थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.81 लाख के स्टोक/स्टोर का क्रय करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टोक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹281264 की सामग्री औपचारिकताये पूर्ण की गई जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टोक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टोक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टोक/स्टोर का स्टोक रजिस्टर में इन्द्राज करना व उपयोग लेखा तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना:—

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था। जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। **अभिलेखों** का विवरण निम्न प्रकार से है :—

- 1 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 2 जल प्रभार रजिस्टर
- 3 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
- 4 अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 5 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
- 6 डाक टिकट रजिस्टर
- 7 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि
- 8 वर्गीकृत सार

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थायी भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया था जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमितताये:-

(क) ग्राम पंचायत द्वारा कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

(ख) निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अंतर्गत बैठक फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने से संबंधित अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

- 14 लघु आपत्ति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।
- 15 निष्कर्ष:- लेखों में बहुत सुधार की आवश्यकता है

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(2)156/2018 खण्ड-1-6043-6046 दिनांक-13.09.18 शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत झुम्ब खास, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा हि०प्र०

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620881